न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 277 / 2024

अनवान : –

1. विजय कुमार पुत्र पप्पू राम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. पप्पू राम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भैराराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कासीराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पालाराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्ण पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. प्रेम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. श्योपत पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गुडी पुत्री चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सीमा पुत्री चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. श्रवण पुत्र पप्पू राम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
12. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 05/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 129 / 129 के खसरा नं. 136 / 1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136 / 7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि वादी के दादा मृतक चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है चन्दरूराम पुत्र नानुराम फौत हो चुके है, चन्दरूराम पुत्र नानुराम के वैधयज वारिसान हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पत्रावली में दर्शाये गये [illegible] के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 प्रथम श्रेणी के वारिसान है प्रतिवादी स0 1 के दो संताने वादी व प्रतिवादी स0 10 है। रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 129 / 129 के खसरा नं. 136 / 1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136 / 7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

9 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 10 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 को सम्यक नोटिसस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण चन्दरूराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है चन्दरूराम पुत्र नानुराम फौत हो चुके है, चन्दरूराम पुत्र नानुराम के जायज वारिसान हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 प्रथम श्रेणी के वारिसान है प्रतिवादी स0 1 के दो संताने वादी व प्रतिवादी स0 10 है। रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 129/129 के खसरा नं. 136/1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136/7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 9 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 10 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवे[illegible] किया की [illegible]लाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के [illegible]ते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता

[illegible] अधिकारी
[illegible]
Rahul.

संख्या 129/129 के खसरा नं. 136/1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136/7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है चन्दरूराम पुत्र नानुराम फौत हो चुके है, चन्दरूराम पुत्र नानुराम के जायज वारिसान हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 प्रथम श्रेणी के वारिसान है प्रतिवादी स0 1 के दो संताने वादी व प्रतिवादी स0 10 है। रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 129/129 के खसरा नं. 136/1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136/7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 9 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 10 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा चन्दरूराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार चन्दरूराम का देहान्त हो चुका है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 129/129 के खसरा नं. 136/1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136/7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 9 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 10 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक चन्दरूराम पुत्र नानुराम का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तवं I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 277/2024

अनवान : –

1. विजय कुमार पुत्र पप्पू राम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. पप्पू राम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भैराराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कासीराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पालाराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्ण पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. प्रेम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. श्योपत पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गुडी पुत्री चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सीमा पुत्री चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. श्रवण पुत्र पप्पू राम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
12. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 277 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबंदी वर्ष 2076 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 129/129 के खसरा नं. 136/1 की 5.5150 है०, खसरा नं. 136/7 की 0.7450 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2600 है० भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 9 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 10 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक चन्दरूराम पुत्र नानुराम का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर